

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

स्थापन गाँवों के संग-2021

राजस्व ग्राम <u>285</u> पं०मं० <u>285</u> मू०अ०नि०वृत्त <u>वि०ए</u> तहसील- <u>शिकोटा</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	296	1688	0.9610	1. कतना पुत्री भूरी - 1/12 गराजिमा 2. काली पुत्री भूरी 1/12 गराजिमा 3. गजनी पुत्री भूरी 1/12 गराजिमा 4. पकनी पुत्री भूरी 1/12 गराजिमा 5. मेसि पुत्री भूरी 1/12 गराजिमा 6. वनकि पुत्री भूरी 1/12 गराजिमा 7. किरमा पुत्री भूरी 1/12 गराजिमा (भूरी खाता) राजस्थान सरकार ग्राहनीय लेकें शाखा मानपुर	1. कतना पुत्री भूरी - 1/12 गराजिमा 2. काली पुत्री भूरी - 1/12 - - 3. गजनी पुत्री भूरी 1/12 - - 4. पकनी पुत्री भूरी 1/12 - - 5. मेसि पुत्री भूरी 1/12 - - 6. वनकि पुत्री भूरी 1/12 - - 7. किरमा पुत्री भूरी 1/12 - - पूर्ण जमाना राजस्थान ग्राहनीय लेकें शाखा	राजस्थान सरकार लेकें का नाम परिवर्तन राजस्थान ग्राहनीय लेकें लेकें का शुद्धि कि जाति अचल है
मुताबिक मिसल/जमाबंदी संयत <u>2019</u> के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रयण योग्य है।				साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।	पं०हल्का <u>285</u> मू०अ०नि० <u>वि०ए</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण भन्दोबस्त सक्रियाओ के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।	पं०हल्का <u>285</u> मू०अ०नि० <u>वि०ए</u> राजस्व अधिकारी <u>वि०ए</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। हाल जमाबंदी में अमल किया जाये।
दिनांक		पं०मं०	दिनांक	ह० मू०अ०नि० वृत्त	ह० राजस्व अधिकारी तहसीलधर (मू०अ०नि०)	सहायक कलेक्टर ह० उपखण्ड अधिकारी